5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित विलोपित

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. 2018 विविध — 6025/2018/शिवपुरी/भू.रा.

भगवती पत्नी बादामी आदिवासी निवारी ग्राम नयागांव तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

——— आवेदिका

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

——— अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत संहिता की धारा 32 के अधीन आदेश दिनांक 17.09.2018 का पालन कराये जाने बावत।

मान्यवर,

आवेदिका की ओर से आवेदन पत्र का जबाब निम्न प्रकार है:—

1. यह कि, आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध मान. न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की गई थी। जिसका प्रकरण कमांक 2689/2018 निगरानी पर दर्ज करते हुये प्रकरण मे सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये आदेश दिनांक 17.09.2018 से निगरानी स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया है। उक्त आदेश मे अनुबन्ध पत्र दिनांक 04.04.2014 के आधार पर अनुबन्ध कर्ता एवं अनुबन्ध ग्रहीता के नाम का उल्लेख नही किया है। उक्त आदेश में अनुबन्ध पत्र के आधार पर अनुबन्ध कर्ता व अनुबन्ध ग्रहीता का नाम उल्लेख करना न्यायोचित होगा।

2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण में आदेश दिनांक 17.09.2018 से पारित किया है। उक्त आदेश की मूल प्रति के आधार पर उपपंजीयक पोहरी को न्यायालय द्वारा भिजवाया जाना न्यायोचित होगा। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जा सके।

3. यह कि, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन उपपंजीयक पोहरी नही किया है। उक्त आदेश का पालन कराया जाना न्यायोचित होगा। क्योकि माननीय न्यायालय द्वारा जो शर्त राजस्व अभिलेख में अंकित थी। उक्त शर्त को विलोपित करने

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 6025/2018/शिवपुरी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
21.1.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री शिराज कुरैशी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2989/2018 में पारित आदेश दिनांक 17.9.18 का पालन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है इसलिये इस प्रकरण का संचालन इस न्यायालय में अब जरूरी नहीं है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा उनके द्वारा बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन किया जा चुका है। अतः यह प्रकरण इनफैक्चुअल हो चुका है। अतः प्रकरण इस न्यायालय से समाप्त किया जाता है। सदस्य	